**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2013**

**उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023**

**गोवा में एमएसएमई**

**2013. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गोवा राज्य में कार्यरत/कार्यशील सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त उद्यमों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)**

(क): उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार दिनांक 08.12.2023 तक गोवा राज्य में उद्यम पंजीकरण पोर्टल (दिनांक 01.07.2020 में इसकी शुरुआत से दिनांक 08.12.2023 तक) पंजीकृत हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या 48,792 (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) थी।

(ख) और (घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) और एमएसएमई के कार्य निष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) शामिल हैं।

इसकि अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से विभिन्न श्रेणीओं के ऋणों हेतु 85% तक की गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को (दिनांक 01.04.2023 से) 500 लाख रुपए तक की सीमा के कोलेट्रल मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं।
ii. आत्म निर्भर भारत निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशं। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के निधि का प्रावधान किया गया है।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. व्यवसाय की सुगमता के लिए "उद्यम पंजीकरण" के माध्यम से एमएसएमई का नया पंजीकरण।
v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
vi. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
vii. एमएसएमई की स्थिति में स्तरोन्नयन परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों के लिए कर-विहीनता का लाभ विस्तारित कर दिया गया है।
viii. अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में तेजी और गति वर्धन (रैम्प) की शुरुआत।
ix. उद्यम पोर्टल और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) का एकीकरण, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत एमएसएमई एनसीएस पर नौकरी चाहने वालों की तलाश करने में सक्षम हैं।
x. विवाद से संवाद-I के तहत एमएसएमई को कटौती की गई कार्यनिष्पादन सिक्योरिटी, निविदा सिक्योरिटी और नकदी क्षति के 95% की वापसी के माध्यम से राहत प्रदान की गई है। अनुबंधों/संविधाओं के निष्पादन में चूक के कारण वंचित एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई है।
xi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ उठाने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।
xii. 18 व्यापारों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' योजना की शुरुआत की गई है।

******